प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था ने अभी तक समिति कार्यालय को एमएड पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक नियुक्त कर सूचना प्रेषित नहीं की है अतः अध्यापकों की कमी को मानते हुए संस्था के एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता को मान्यता को अस्वीकार कर दिया जाए।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार **मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, काला कंकर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश** के एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेवें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रवेश करता है तथा छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके एमएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17(4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त एमएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान को कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं माना जाएगी यदि संस्था चाहे तो इस आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के संबंध में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ0 ए.के. कौशल)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
प्रकाशन विभाग (राजपत्र अनुभाग)
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
4. कुलसचिव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
6. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय पी.जी. कॉलेज, काला कंकर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
7. कम्प्यूटर फाइल, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

क्षेत्रीय निदेशक